

## प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 22-04-2019 दिन सोमवार जनपद लखनऊ।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21/22-04-2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना ँणानगर 01, बाजारखाला 01, मड़ियाँव 01, गोसाईगंज 02 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में थाना निगोहां 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में 05 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

बी0के0टी0:-दिनांक 21-04-2019 को श्री अमरनाथ वर्मा प्रभारी निरीक्षक बी0के0टी0 लखनऊ द्वारा अभि0 1-दीपक पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी बीकामऊ थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ 2-रामलखन पुत्र स्व0 महावीर निवासी हाजीपुर थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ 3-सोनू सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी मामपुर बाना थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ 4-विपिन सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी मामपुर बाना थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ के विरूद्ध धारा 110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार।

गोसाईगंज:-दिनांक 21-04-2019 को श्री वरूण कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक व एस0आई0 श्री प्रभाकर अवस्थी थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के अभि0 1-प्यारे लाल पुत्र छंगा गौतम निवासी हरिहरपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ 2-कुलदीप पुत्र मुन्नीलाल निवासी बनियामऊ थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को शहीद पथ के जंगल, हरिहरपुर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 45 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद हुए। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

मड़ियाँव:-दिनांक 22-04-2019 को थाना मड़ियाँव द्वारा बताया गया कि दिनांक 06-04-2019 को वादी निवासी मड़ियाँव थाना मड़ियाँव लखनऊ द्वारा थाना मड़ियाँव पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 03/04 पॉक्सो एक्ट का अभियोग बनाम अभि0 1-अजय के विरूद्ध पंजीत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री संजय कुमार मिश्रा थाना मड़ियाँव, लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 21-04-2019 को एस0आई0 श्री संजय कुमार मिश्रा थाना मड़ियाँव लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमे के नामजद अभियुक्त 1-अजय वाल्मीकि पुत्र राजेश निवासी शहजादपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर की सूचना पर मड़ियाँव पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मड़ियाँव पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार।

नगराम:-दिनांक 22-04-2019 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि वादी श्री अंकित कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी पतौना थाना नगराम लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि दिनांक 21-04-2019 को वादी अपने भाई उत्तम के साथ गांव के बाहर शौच के लिए जा रहा था, वादी का भाई हाथ में सैमसंग का मोबाइल लिये हुए था, कि रास्ते में बिना नम्बर की मोटर साइकिल सवार 03 व्यक्ति आये और वादी के भाई के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भागने लगे, कि वादी और वादी के भाई ने शोर मचाया तो आस-पास के गांव के तमाम लोग मौके पर आ गये, और मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियों को दौड़ाकर मौके पर मय मोटर साइकिल व मोबाइल के पकड़ लिया व एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से जब उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम 1-अमर उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र माता प्रसाद निवासी कलन्दरखेड़ा थाना मोहनलालगंज

लखनऊ व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2-रविकान्त उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र दर्शन निवासी कलन्दरखेडा थाना मोहनलालगंज लखनऊ बताया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों को थाने पर लाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### अभियुक्त गिरफ्तार।

गोमतीनगर:-दिनांक 22-04-2019 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 22-04-2019 को वादिनी निवासी गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ द्वारा थाना गोमतीनगर पर अपनी 16 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354ग/354घ/323/504/506/427 भादवि व धारा 67 आई0टी0 एक्ट व धारा 07/08 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1-रियाज खान के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 22-04-2019 को प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-रियाज खान पुत्र स्व0 मोहंरम खान निवासी सरकारी आवास आई0ए0जी-1 सेलटैक्स आफिस विभूतिखण्ड-04 थाना विभूतिखण्ड लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर हनीमैन चौराहे से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोमतीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### भा0द0वि0

मड़ियाँव:-दिनांक 22-04-2019 को थाना मड़ियाँव द्वारा बताया गया कि वादी श्री कन्हई लाल पुत्र स्व0 सकटू निवासी ग्राम भूडपुरवा पोस्ट सरौरा थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ ने थाना मड़ियाँव पर सूचना दिया कि वादी का भाई जो कि पेशे से एक गरीब किसान था, जिसको बलवीर पुत्र रामआसरे, नन्हके पुत्र रामआसरे निवासी इमलिहापुरवा, अरूण पुत्र विश्वनाथ निवासी टन्टापुरवा, शराब ठेकेदार निकट सरौरा, मार्केट मालिक रामकिशोर पुत्र स्व0 नन्हे निवासी रपरा आदि लोग कई दिनों से वादी के भाई ठाकुर प्रसाद को जमीन बेचने के लिए परेशान कर रहे थे लेकिन वादी का भाई जमीन बेचने से मना कर रहा था लेकिन यह लोग दिनांक 21-04-2019 की सुबह लगभग 12 बजे जबरन घर से पकड़ ले गये उस समय वादी घर पर नहीं था। पता चला कि ठेके पर वादी के भाई को उक्त व्यक्तियों ने काफी शराब पिलायी तब वादी के भाई से जमीन लिखाने के लिए कहा, वादी के भाई द्वारा मना करने पर वादी के भाई को लात-घूसों व डण्डे से मारा जिससे वह बेहोश हो गया, मृत जानकर उसे शराब के ठेके के बेसमेण्ट में डाल दिया। बीति रात्रि करीब समय करीब 11.00 बजे वादी के भाई को कुछ होश आया तो वादी के भाई के कराहने की आवाज सुनकर वहाँ पर शराब पीने वाले व्यक्ति बेसमेण्ट में गये तो देखा कि वादी का भाई ठाकुर प्रसाद गम्भीर अवस्था में कराह रहा था जिसकी पहचान कर, करीब 11.30 बजे ठाकुर प्रसाद के परिवार को सूचना दी गयी। बाद सूचना परिवारीजन वादी कन्हईलाल, भारत पुत्र सकटू, लवकुश पुत्र कन्हईलाल, बुजलाल पुत्र मातादीन आदि लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ ठाकुर प्रसाद को बेहोशी की हालत में पाया और उसे उठाकर घर ले आये, जो रात में बेहोशी की हालत में किसी व्यक्ति का नाम

नहीं बता पाया। आज सुबह करीब 06 बजे जब वादी के भाई को होश आया तो उसने उपरोक्त लोगों के नाम बताये और बताया कि मेरी जमीन जबरन लिखाने को कह रहे थे, वादी के भाई ने मना किया तो उसको मारा-पीटा, इतना बताने के कुछ समय बाद वादी के भाई ठाकुर प्रसाद उम्र करीब 50 वर्ष की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना मड़ियाँव पर मु0अ0सं0 371/2019 धारा 147/148/302 भा0द0वि0 का अभियोग बनाम नामजद अभि0गण 1-बलवीर पुत्र रामआसरे 2-नन्हके पुत्र रामआसरे निवासीगण इमलिहापुरवा थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ 3-अरूण पुत्र विश्वनाथ निवासी टंटापुरवा थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ 4-शराब ठेकेदार अज्ञात निवासी निकट सरौरा थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ 5-मार्केट मालिक रामकिशोर पुत्र स्व0 नन्हे निवासी रपरा थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ के विरूद्ध पंजीत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मड़ियाँव श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक का 01 पुत्र है।